


आदेश

निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या- 1261/पि०व०क०/2017-18 दिनांक 18 सितम्बर 2017 के क्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र० में सीधी भर्ती से वर्ष 2005 में मौलिक रूप से तैनात चपरासी/अर्दली के पद हेतु निर्धारित परिवीक्षा अवधि दो वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त निम्नानुसार चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को उनकी मौलिक नियुक्ति के आधार पर स्तम्भ 06 में उल्लिखित तिथि से चपरासी/अर्दली के पद पर स्थायी किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान में पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त चपरासी/अर्दली के पद पर योगदान की तिथि	परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्याम नारायण यादव	कनिष्ठ लिपिक	कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।	05.05.2005	05.05.2007


31/10/17

(यादवेन्द्र सिंह)

उप निदेशक,

पिछड़ा वर्ग कल्याण,

देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

कार्यालय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

पत्रांक: 16 /पि०व०क०/स्था०/2017-18,

दिनांक: 31-10-2017

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० शासन लखनऊ।
2. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, बलरामपुर।
4. सम्बन्धित कार्मिक।
5. कार्यालय प्रति/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

उप निदेशक,

पिछड़ा वर्ग कल्याण,

देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।